2. Consideration and passing of the State Financial Corporations (Amendment) Bill, 2000, as passed by Lok Sabha.

THE PASSPORT (ENTRY INTO INDIA) AMENDMENT BILL, 2000

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Passport (Entry into India) Act, 1920.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI L.K. ADVANI: Sir, I introduce the Bill.

THE BIHAR REORGANISATION BILL, 2000 -*Contd.*

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय (पश्चिमी बंगाल) : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले, अपना वक्तव्य शुरू करने के पहले मैं आपसे और सदन के अन्य जो मंत्रीगण यहां बैठे हैं उनसे क्षमा चाहूंगी कि रेटिना आपरेशन के कारण मैं अभी भी नजरें उठाकर बात नहीं कर सकूंगी। वैसे भी इस पुनर्गठन विधेयक पर बातें करते समय नजरें झुकाकर ही बात करना अच्छा है।

आज हम यहां जिस संवेदनशील मुद्दे पर बहस करने जा रहे हैं, खास करके देश के एक बड़े भूभाग बिहार में रहने वालों के लिए तो यह बड़ा ही गंभीर मसला है। जन्म भूमि और कर्म भूमि दोनों में बंगाल है फिर भी यू.पी. और बिहार में कहीं मेरा मायका है, कहीं मेरी ससुराल है। इसलिए मुझे इस विधेयक पर बोलने के लिए खास तौर से कहा गया है। महोदय, बिहार में ससुराल है, यू.पी. में मायका है।

महोदय, हमारी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) कभी छोटे राज्यों के निर्माण के समर्थन में नहीं रही है। इसी कारण न हम वनांचल का समर्थन कर पाए हैं न उत्तरांचल का, न ही झारखंड का जिस पर आज चर्चा चल रही है।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): दोनों से रिश्ता छोड़ दिया?

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय : आप लोग तुड़वा दे रहे हैं। न तो यह बिहार की आम जनता की भलाई में होगा न पूरे राष्ट्र के हित में, न खुद दक्षिणी बिहार के हित में। यहां की जनता बहुत बड़े पैमाने पर शोषण का शिकार है, दलित, वंचित, गरीब है। आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, पिछड़ी है। यह पुनर्गठन विधेयक किसी रूप में उनके हित में नहीं है।

सन् 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना, उस समय पश्चिम बंगाल का पूर्णिया जिला छोटा नागपुर के साथ था। मानभूम का भी एक हिस्सा था पूर्णिया। सन् 1955 में इसी राज्य पुनर्गठन आयोग ने इस इलाके को पश्चिम बंगाल से जोड़ने की सिफारिश की थी और यह भी सुझाया था कि चोपुरा मानभूम और सिंहभूम के अधिकांश क्षेत्र को पश्चिम बंगाल से जोड़ना चाहिए। एक तथ्य उल्लेख्य है। यदि केवल भाषा का प्रश्न होता तो पुरुलिया एक वृहत्तर जिले के रूप में विकसित हुआ होता उन अनेक बंगला बहुल उद्योग क्षेत्रों के साथ जो आज बिहार में हैं। किंतु ऐसा नहीं हुआ।

आज सवाल उठाए जा रहे हैं कि छोटा नागपुर या झारखंड के विस्तृत इलाके विकास से काफी दूर हैं, नितांत पिछड़े हैं, घास फूस के विवरों में मानव जाति निवास करती है जिन्हें देख सोचना पड़ता है। हमारे भाई संघ प्रिय गौतम जी इन लोगों के लिए खास संवेदना रखते हैं, इसलिए मैं उन्हें सुनना चाहती हूं -

वह नस्ल जिसे मानव कहते, कीड़ों से आज गई बीती
मर जाती तो आश्चर्य न था हैरत है यह कैसे जीती।

ऐसे लोगों को हम देखते हैं कि वे जिन्दा हैं। हमें तकलीफ होती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि तकलीफें सहने की आदत पड़ जाती है और हम भूल जाते हैं कि देश की बहुसंख्यक जनता किस तरह से अपनी जिंदगी बसर कर रही है।

अकूत प्राकृतिक संपदा और अनन्त खनिज भंडारण के रहते हुए भी यह इलाका पिछड़ा क्यों है? क्या सचमुच अलग राज्य बनने से इसका विकास हो जाएगा? आजादी के बाद देश में अनेक राज्य बने। मैं पूछना चाहूंगी सभापति महोदय आपके माध्यम से कि क्या वे पूरी तरह से विकसित हुए।

(उपसभापति महोदया पीठासीन हुई)

मैंने कहा था कि नजरें उठाकर बात करना मुश्किल है। महोदय से महोदया कब हुई, मैंने देखा ही नहीं। उनके लोग साक्षर हुए? उनकी बढ़ती जनसंख्या का समाधान खोजा गया? स्वाभाविक उत्तर होगा, नहीं। अब तक सुदूर गांवों पहाड़ी और पठारी प्रदेशों तथा दुर्गम आदिवासी बहुल अंचलों की माताएं बहिनें एक घड़े पीने के पानी की तलाश में सारे दिन भटकती रह जाती हैं। ईंधन जुटाने की कोशिश में एक पूरी उम्र गुजार देती हैं। पर हम उनके लिए योजनाएं ही बनाते रहते हैं जो कागजों पर ही रहती हैं। पिछली सरकारों ने भी इस दिशा में गंभीरतापूर्वक नहीं सोचा। भविष्य में क्या होगा यह भी नहीं जानतीं। जिन व्यावहारिक परिकल्पनाओं से इस क्षेत्र को विकसित करने की संभावनाएं थीं उन्हें सुचारु रूप में लागू ही नहीं किया गया। यह भी प्रश्न उठाया जाता है कि दक्षिण बिहार उत्तर बिहार का शोषण कर रहा है, जो सर्वथा असंगत है। जो लोग यह प्रश्न उठाते हैं उन्हें यह भ्रम हो जाता है जैसे कि दक्षिण बिहार उत्तर बिहार की कालोनी हो। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं मूल समस्या से नजरें चुराकर हम कब तक सतही समस्याओं तक ही सीमित रहेंगे और अपना पल्ला छुड़ाते रहेंगे।

बिहार बेरोजगारी से टक्कर ले रहा है। जाति दल और अगड़ी पिछड़ी के ज्वलंत प्रश्नों से लड़ रहा है। पूरे बिहार को एकजुट रखकर उस क्षेत्र के लिए आटोनामस रीजनल काउंसिल बनाकर विकास के लिए सचमुच कुछ किया जा सकता था। क्या यह सोचना उचित नहीं था। कल की खबरों के अनुसार बिहार का एक हिस्सा भयंकर बाढ़ की चपेट में है। स्थिति पर नियंत्रण करना मुश्किल है क्योंकि नदियों का जल नेपाल से चलकर आता है। क्या इन 52 वर्षों में सोचा गया कि पर्याप्त तटबंध बनाने जरूरी थे? क्या यह सोचा गया कि जहां से स्रोत आ रहा है वहीं विस्तृत जलाशय बनाकर पूरे प्रदेश के लिए जल की सुरक्षा की जाए। ये सारी बातें नहीं सोची गयीं। जल का संवर्धन किया जा सकता था। पर यह विचार में आया ही नहीं। अब एक नए राज्य के बुनियादी ढांचे पर कई सौ करोड़ रुपये खर्च करना, मेरी समझ के परे है। प्रान्त का एक अंचल यदि विकास की पहली किरण से भी अछूता रहे तो वहां के लोगों के अलगाव बोध का जागना अत्यन्त स्वाभाविक है, पर नया राज्य बना कर उनके हाथ में झुनझुना पकड़ाने से मूल समस्या हल नहीं होगी। अब तो इतिहास भी शायद नए ढंग से लिखा जाए और कहा जाए,

"यह वारदात हरेक संगे मील पर लिख दो,
लहू के दाग मिले रहनुमा के दामन पर।"

मेरे अपने प्रांत में खुद यह समस्या उभरी थी। सन् 1985-86 में दार्जिलिंग जिले में एक बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ था किन्तु हम निराकरण खोज पाए वहां आटोनोमस हिल काउंसिल बना कर, वहां के लोगों को अधिक अधिकार देकर, उस क्षेत्र के उन्यन में वहीं के लोगों की भागीदारी तय कर समस्या को काफी हद तक सुलझाया जा सका है। त्रिपुरा में भी समान समस्या थी। वहां वाम मोर्चे की सरकार ने आदिवासी और गैर आदिवासियों को एक जुट रख कर ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल बनाई और मूल समस्याओं से निपटने की चेष्टा की। क्या यहां 18 जिलों को लेकर एक ट्राइबल आटोनोमस रीजन बना कर उस क्षेत्र के लोगों को अधिक अधिकार देने की संभावना नहीं थी? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि ऐसी भी क्या जल्दी थी? इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भी तो भेजा जा सकता था? अनेक बिल हैं जिनके लिए सलैक्ट कमेटी बनती है और कंसेंसस किया जाता है। लेकिन उन सब की कोई जरूरत नहीं थी। आदिवासियों की स्वायत्ता के पक्षधर हम सदा से रहे हैं। पर जिस अंचल को नक्शे में झारखंड कहा जाएगा, वहां की 70 प्रतिशत जनता गैर आदिवासी है। 30 प्रतिशत आदिवासी अल्प संख्यकों को आप किस रूप में आगे बढ़ायेंगे, यह तो कुछ दिन में ही सामने आ जाएगा। सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर समस्या का समाधान किया जा सकता था। आपके अपने घटक ही प्रतिवाद में मुखर हुए हैं। परन्तु आप सब की आवाज को नक्कारखाने में तूती की आवाज समझ कर अनसुना करने का फल आज नहीं तो कल चखेंगे ही, जो बेहद कड़वा होगा।

सूचना तकनीक के इस क्रांतिकारी युग में राजधानी से इन अंचलों को जोड़ना जरा भी मुश्किल न था। आज के अखबारों के मुख पृष्ठ पर है भारत में भी अब रक्षा संचार जाल बिछाने की तैयारी - जिससे किसी भी परमाणु व मिसाइली हमले की स्थिति में देश के शीर्ष रक्षा कर्णधारों के बीच तत्काल सम्पर्क स्थापित कर समुचित जवाबी कार्रवाई की जा

सके। इस संचार जाल को बिछाने में तीन से चार साल का समय लग सकता है और इस पर करीब 6 अरब रुपए खर्च हो सकते हैं। बगल में ही एक छोटी खबर है - गरीबी से भुखमरी से तंग आकर हरियाणा के एक कस्बे के कृष्णा नामक किसान ने चार बच्चों सहित सल्फास खा कर आत्महत्या कर ली। क्या ऐसी खबरें हमें झकझोरती नहीं हैं? तकलीफ होती है। देश में आदिवासी हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, लेकिन उनके लिए एक बेहतर नीति बनाने के स्थान पर केवल राज्य के पुनर्गठन की बात सरकार के दिमाग में किस तरह आ गई है? इन खबरों को पढ़ कर दुख होता है, कसक होती है। ऐसी घटनाएं देख के हर गांव, कस्बे और पिछड़े प्रदेशों में घटती हैं, जिसका समाधान एक स्वस्थ उपयोगी अर्थ नीति, स्वास्थ्य नीति, जनसंख्या नीति और शिक्षा नीति बना कर, उसे लागू कर और समय-समय पर निगरानी कर किया जा सकता है, पृथक राज्य बना कर कतई नहीं। अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी ही - उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बाद - आप रोक नहीं पायेंगे। महाराष्ट्र, आंध्र, उत्तर प्रदेश के भीतर ही कुछ और बिहार के भीतर ही कुछ और, और न जाने कितने-कितने राज्यों की मांग आएगी। खामियाजा कौन भुगतेगा? यह मांग देश को खंड-खंड कर देगी। फिर भारत पूरे भारत को खोजते ही रह जायेंगे। एक और बात, जो सांसद् या दल इस बिल का समर्थन कर रहा वह भी शेष बिहार का क्या होगा इस आशंका से ग्रसित हैं वे सशंकित हैं। स्पेशल इकोनोमिक पैकेज का क्या होगा। नेपाल की नदियां सात करोड़ आबादी के सारे इन्फ्रास्ट्रक्चर को हर वर्ष ध्वस्त कर देती हैं। उत्तर बिहार का जूट उद्योग चौपट, चीनी मिलों पर तालेबंदी, सूत मिल पर ताले बंदी, कागज कारखानें बंद। गृह मंत्री जी ने लोक सभा और राज्य सभा दोनों में कहा, जनता की इच्छा और आकांक्षा को देखते हुए यह किया जा रहा है। किन्तु क्या केवल इच्छा और आकांक्षा का होना ही राज्य को बांट देने का आधार हो, भौगोलिक स्थिति प्रशासनिक ढांचा, इकोनोमिक वायबिलिटी और विकास की स्थिति को क्या आप ने दृष्टि में रखा? कहीं ऐसा न हो कि आकांक्षा और आकांक्षा में टकराहट हो क्षेत्रीय असन्तुलन बढ़े और संघीय ढांचे के आवर्त्तन विवर्त्तन में आपकी संघी मानसिकता बेनकाब हो जाए। महोदया, मैं लोक सभा डिबेट पढ़ रही थी। एक सदस्य ने कहा बिना ब्रेक के गाड़ी चला रहे हैं। पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह जी ने एक रहस्य खोला, यह ताम-झाम, अफरा-तफरी दरअसल 15 अगस्त को लाल किले से राष्ट्र के नाम संदेश देने की तैयारी है, नहीं तो सौ करोड़ की आबादी वाले देश के विकास की बात सिद्धांत विहीन, नीति विहीन आदर्शों से नहीं होगा और न राजनीतिक अवसरवाद से समस्याएं और बढ़ेंगी और काबू से बाहर हो जाएंगे। बस सोचा जाएगा एसेंबली कहां बने, राजधानी किसे चुना जाए, मुख्य मंत्री कौन बने, कितने मंत्री बनें, कितने राजमहल बनें, कितने बंगले बनाए जाएं, किसे कहां अकोमोडेट करेंगे। राज्य की घोषणा से पहले मुख्य मंत्री की कुर्सी पर अनेक नजरें जा टिकी हैं और जोड़-तोड़ भी शुरू हो गयी होगी, लेकिन क्या कभी सोचा गया कि बिहार के खाद कारखाने को पुनर्जीवित क्यों नहीं किया गया, 734 मेगावाट की बिजली परियोजना क्यों रुकी पड़ी है, कोयले और स्टील उद्योगों के प्रति आप क्यों बेरुख हैं? क्योंकि आप की नीतियां काफी जन-हित विरोधी हैं। उधार लेने और बेच देने के अलावा और किया ही क्या है आप ने? अभी जिन प्रदेशों में जल और बिजली वंटन को लेकर विवाद है, वहीं नहीं संभाल पा रहे और अनेक-अनेक

विवाद खड़े हो जाएंगे। क्या आप इस की तैयारी में हैं? बिहार के शिक्षकों को वेतन के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है, नए राज्य में शिक्षा के लिए संसाधन कहां से आएंगे? विश्व बैंक से कर्ज लेकर भी शायद वहां के शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जा सके और उन्हें भी सड़कों पर उतरना पड़े। बहुत पहले बने हरियाणा को आज तक राजधानी शेयर करनी पड़ रही है। झारखण्ड के बारे में आप ने क्या सोचा है? इस में जो 81 विधान सभा सीटें और 14 लोक सभा सीटें रखी गई हैं, उन का बंटवारा भी समानुपातिक नहीं है। यदि 6 सीटों का भी हिसाब लगाया जाए तो विधान सभा की सीटों की संख्या कम-से-कम 84 होनी चाहिए। खैर, अभी तो सब कुछ भविष्य के गर्त में डूबा लगता है। मैडम, मेरा एक मिनिट और समय है?

उपसभापति : हां है तो मगर मैं इस के बाद कुछ अनाउंसमेंट करना चाहती हूं।

श्रीमती चन्द्रकला पाण्डेय : हम सभी जानते हैं कि आजादी की लड़ाई में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ते हुए बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू की कुर्बानी। पर उन की कुर्बानी इस अलगाव के लिए तो नहीं थी। आजादी के बाद हम उन के सपनों में रंग क्यों नहीं भर सके? क्यों नहीं कर सके करोड़ों आदिवासियों को सब के समान? क्यों उन की बेटियां कभी जंगलों में, कभी खदानों में नए भू-स्वामियों, महाजनों, ठेकेदारों की हवस का शिकार बनती हैं? हमारे देश की वे ताकतें जो किसी-न-किसी बहाने देश की आजादी को नहीं पसंद करतीं, एकता और अखंडता को नहीं पसंद करतीं और देश के भीतर तमाम गरीबों पर जुल्म व उत्पीड़न का साम्राज्य कायम करना चाहती हैं, मैं उन सब से कहना चाहती हूं कि अभी भी कोल माफिया और जंगल माफिया के नाम से जो लोग प्रसिद्ध हैं उन से इस इलाके को बचा लिया जाए, देश को बचा लिया जाए और दक्षिणी बिहार के उन इलाकों में जिन में प्रचुर संसाधन हैं, उन्हें किस प्रकार किस रूप में हम उपयोग में लाएंगे, इस पर भी विचार किया जाए। यह जो विधेयक लाया गया है, उस में खासकर आदिवासियों की भाषा, संस्कृति, रस्मो-रिवाज और अस्मिता की सुरक्षा की बात कहीं नहीं, शायद हिंदुत्व के एजेंडे को गरीब आदिवासियों पर थोपने की यह कोई बड़ी साजिश है। अंत में मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगी यह कह कर कि इस बिहार पुनर्गठन विधेयक में मैं अपनी पार्टी और अपनी ओर से असहमति जाहिर करती हूं इस बात के साथ कि कहीं ऐसा न हो कि लोग कहें :

"मुहाफ़िज शान से चौकस खड़े हैं. लुटेरे लूट कर घर जा रहे हैं।" धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN : Hon. Members, I have to make an announcement. It is being decided that because we have to pass The Bihar Reorganisation Bill, 2000, we would dispense with the lunch hour. But you can have your lunch. There is no restriction on that.

आप एक बजे या जो माननीय सदस्य जल्दी खाना चाहें, उन के लिए कोई आपत्ति नहीं है। मगर हम लंच अवर में काम करेंगे। इस के अलावा सुरेश पचौरी जी का एक प्राइवेट मेंबर्स बिल है और उन्होंने हाउस के इम्पोर्टेंस को देखते हुए और इस बिल की महत्ता को देखते हुए यह कहा है कि वह इसे थोड़ा डिले कर देंगे, उन के प्राइवे मेंबर्स बिजनेस को थोड़ा

डिले कर देंगे और यह बिल पास कराएंगे ताकि डिस्कसन बिल पर कंटीनुइटी में हो जाए। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि कृपया संक्षेप में बोलें क्योंकि 5 मिनिट में भी वही बात कही जा सकती है जो हम 15 मिनिट में कहेंगे। अब किसी पार्टी के 5 लोग 8 मिनिट में बोल लें, यह तो मुझे लगता है मिरेकल हो जाएगा। मैं वह मिरेकल इस हाउस में नहीं कर पाऊंगी। इसलिए आप जितने नाम पॉसिबल हों, उसी लिहाज से नाम दें और जरा कृपया संक्षेप में अपनी बात कह दीजिए This is for everybody.

श्री मोहम्मद आज़म खान (उत्तर प्रदेश): जितने संक्षेप में आप ने समझाया है।

उपसभापति : मेरा समझाना आसान नहीं होता क्योंकि अलग-अलग लोग, अलग-अलग तरीके से समझते हैं। आप सभी अलग-अलग विचारधाराओं के लोगों को समझाने के लिए मुझे दो-चार मिनिट लगते ही हैं। यह मेरी कमजोरी कह दीजिए।

SHRI RANGANATH MISRA (Orissa): Madam Deputy Chairman, I am thankful for the opportunity given to me. I come from the State of Orissa.

Bihar and Orissa were two Divisions of the Presidency of Bengal up to 1911. Up to 1916, the Calcutta High Court was the High Court for the Bihar and Orissa. Up to 1936, Bihar and Orissa were together. On the 1st of April, 1936, the Province of Orissa was constituted. Up to 1944, the Patna University continued to exercise jurisdiction over areas of Orissa. The Patna High Court continued to function as the High Court of Orissa up to July, 1948. People of Bihar and Orissa, therefore, had lived together for more than a quarter of a century and continue to be friendly even now.

In 1947, after we became independent, into the Province of Orissa were amalgamated the 26 Indian States, which were known as the Eastern States Agency, with its controlling office at Sambalpur, with a Political Agent functioning from there. Orissa actually show the way for the merger of the Indian States into the British administered provinces throughout the country. Much before Sardar Patel started his process of getting these states into British India, Orissa led the way by consent. The Indian rulers and the Government of India signed the Instruments of Accession, and all the 26 states came into the Province of Orissa. Mayurbhanj, which was a Part A State, joined on the 1st of January, 1949, while all the remaining States had joined on the 1st of January, 1948.

I am pinpointing two of the former princely states, Sarei Kela and Kharswan, which are, at present, part of the West Singhbhum District of Bihar. These two states, by their respective Instruments of Accession, had joined the Province of Orissa and had duly entered as part thereof, as per the public records. Officers of the Province of Orissa had been appointed to take over and manage them. As parts of the Province of Orissa, the administration of these two former Indian princely states was carried on. Without any rhyme, reason or justification, and contrary to the aspirations of the people and, as I feel, contrary to the legal process, these two states were taken away from Orissa and were merged into Bihar. I understand and realise that this event had taken place quite a long time back. But when we are thinking of the aspirations of the people, when we want to size up and straighten matters so that the relationship in differnet areas would be harmonious and congenial, the issue of merger becomes relevant for consideration.

The majority of the people are Oriya-speaking. Their culture is totally in affinity with the culture that prevails in the State of Orissa today. In view of the fact that without any rhyme or reason and without justification in law and fact, which are relevant consideration of or reorganising of States for creation of these two areas that had been taken out, be restored to the State of Orissa, which is the legitimate State to which these should be affiliated.

I have a feeling that in case at this relevant stage or time, Government of India does not consider the request of the people -- both of the people who are living in the State of Orissa and those who are living in those two areas, which are now a part of the west Singhbhum district - the dissatisfaction or the feeling of neglect that is prevailing today, would perhaps continue in an escalated form. It is in the interest of the people, the administration, and, perhaps, of the nation as a whole that when appropriate adjustments are being contemplated, this matter be taken up as a legitimate issue, and appropriate steps are taken so that what had once been taken away wrongly from the State of Orissa, is restored to it. The total area is not much. Sarei Kela and Kharswan put together constitute only a sub-division. Sarei Kela is known for its farmers Chou dance, which is

a part of the Odissi culture. The majority of the people talk Oriya. The customs are totally that of Orissa. Legitimately keeping the considerations that are normally kept in view, I suggest and request the hon. Home Minster to entertain the plea of the people and give back to Orissa what is its legitimate due. I have no greivances otherwise against the Bihar Reorganisation Bill that has been introduced and is being discussed. We have lived well with the people of Bihar. I would recall from history the Kalinga war, which was fourght in 300 B.C. About 2300 years ago Ashoka came to fight against Orissa. As a mighty emperor, he killed lakhs of people, but converted himself as a Buddhist and spread the Buddhist religion throughout the world. Orissa had converted Ashoka. It is now for Bihar to pay back the dues of Orissa, which is called Guru Dakshina.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF OCEAN DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): It is a very small due that you are asking.

SHRI RANGANATH MISHRA: I am only asking for Guru Dakshina to be paid back, and what is legitimate to Orissa be returned to Orissa.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I do not know so much of hisotry that during the time of Ashoka the country was divided on linguistic basis. I never knew it.

श्री सतीश प्रधान (महाराष्ट्र): मैडम, मैं एक मिनट लेना चाहता हूं।

उपसभापति : आपका नाम तो बाद में है।

श्री सतीश प्रधान : मैं सिर्फ एक ही मिनट बोलना चाहता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। महोदया, मुझे जाना है, अगर आप मुझे जरा जल्दी सुन लें तो मैं अपनी बात कहकर जा सकूंगा। मैं एक ही मिनट लूंगा।

उपसभापति : पहले दो-चार भाषण तो सुन लीजिए, उसके बाद आपको बुला लेंगे।

श्री सतीश प्रधान : महोदया, मैं एक ही मिनट बोलना चाहता हूं।

उपसभापति : घड़ी देखकर?

SHRI SATISHCHANDRA SITARAM PRADHAN: I would take only one minute.

THE DEPUTY CHAIRMAN: One minute means one minute.

श्री सतीश प्रधान : मैडम्, स्ट्रिक्टली वन मिनट, ऑनली वन मिनट। बाकी तो परसों बातें की थी।

उपसभापति : आधा मिनट हो गया, जल्दी बोलने दीजिए।

श्री सतीश प्रधान : मैडम्, हम आज झारखंड स्टेट का विधेयक पास कर रहे हैं। झारखंड के लोगों की यह बहुत पुरानी मांग थी। उन्होंने लोकशाही तंत्र के अनुसार जिस ढंग से आंदोलन करने की आवश्यकता थी उसी ढंग से आंदोलन किए और आज उन्हें वह चीज प्राप्त हो रही है जिस पर हमारे प्रधान मंत्री श्री वाजपेयी और आडवाणी जी ने निर्णय किया कि किसी भी हालत में हम संसद में इस विधेयक को पारित करेंगे। इसके लिए जो ये विधेयक लाए हैं मैं उनका अभिनन्दन करना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा कि मैंने परसों बताया था कि इसी ढंग से हमारा भी एक विषय बहुत पुराना पेंडिंग है --महाराष्ट्र और कर्नाटक के बोर्डर का इश्यू। महाराष्ट्र में कर्नाटक का कुछ पार्ट आ गया और महाराष्ट्र का कर्नाटक में कुछ पार्ट गया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि बोर्डर के सभी लोगों ने अभी तक लोकशाही तंत्र के अनुसार सभी चीजें इस्तेमाल करते हुए मांगें रखी हैं। वहां टेक्सेज के बारे में आंदोलन किया, बार-बार उनके ऊपर अलग-अलग ढंग से बहुत सारे अत्याचार हुए। इस हद तक अत्याचार हुए मैडम्,...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : अब एक मिनट हो गया।

श्री सतीश प्रधान : मैं खत्म ही कर रहा हूं। मराठी का नामोनिशान तक मिटाने की वहां कोशिश हुई है। ऐसी परिस्थिति में आदरणीय गृह मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि आप कृपा करके दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ एक मीटिंग कीजिए और इस बारे में कुछ निर्णय निकालने की कोशिश कीजिए। अगर इससे कुछ हल नहीं होता तो केन्द्र सरकार को कानून में जो अधिकार हैं इस अधिकार के अनुसार आप इस विषय का निर्णय कीजिए, संसद में यह विषय लाइए और उसका निर्णय कीजिए। मेरी प्रार्थना है कि अब बहुत हो गया, हद हो गई है और वहां के लोग बहुत तंग हैं। धन्यवाद।

SHRI C. RAMACHANDRAIAH (Andhra Pradesh) : Madam Deputy Chairman, I thank you for giving me an opportunity to speak on the Bihar Reorganisation Bill, 2000. Our party, Telugu Desam, is conceptually against smaller States. It is more so, when it is irrational. The argument that is being advanced for the creation of smaller States is that they will make more viable administrative units and that is why these demands have been considered. There seems to be some justification. But creation of smaller States is never a panacea to the problems that are being faced by the country. If that is so, the

Government should not have faced any problem in the North-Eastern States. An eminent anthropologist has pointed out in his report that there are 3000 communities in the country. Can we have 3,000 States to satisfy the demands of these communities? It is really impossible. So, what I am trying to say is that this type of division or creation of smaller States should be rationalistic. The people are gullible. Just to satisfy the egoism of the political class, these movements have been encouraged. It is like opening the Pandora's box. There are going to be more agitations. Agitations are already there. Agitations for separate States like Vidarbha, Sourashtra Telangana, Bodoland have already taken a violent turn. Some more demands for separate States like Bundelkhand and Awadh are likely to come. So, what I am trying to suggest to the Government is this.We have had reorganisation earlier. But it was never linked with territory but language. It was never so. There should be some pragmatic approach for the creation of smaller States. It should be more practical. We have been saying that the Government has to be downsized, the administration should be brought closer to the people. I do not think that smaller States will bring the administration very close to the people. For example, in our State, we have got 1104 mandals and every month, for a minimum of 10-15 days, we are bringing the entire administration to the doorsteps of the people. It is the system that you evolve innovatively that will give the result and not the creation of small States.

Madam, one point I want to mention is, people need more jobs, improvement in their standard of living, improvement in their basic amenities, so that they live happily, outside the purview of misery and poverty. They do not need more States. If the creation of more States is the only way for solving all these problems, we do not have any objection. But that was not the objective of the framers of the Constitution, when the great Sardar Patel had united so many princely States under one federation. It is the objective, it is the endeavour of the Government, to serve the people better, to fulfil their aspirations. I want to mention that 80 per cent of the revenue receipts in the States are spent on administrative expenditure like salaries and other expenditure. Little is left for the development of the States. And the Central Government's financial position is also highly

precarious to come to the rescue of the State Governments. If this is the economic scenario and the situation that is prevailing in the country, I think this step of creation of more States will not be ideological, will not be practical. And it will not serve the purpose for which it is done. The hon. Home Minister has said that the touch-stone is the resolution of the Assembly. For example, hon. Justice Misra has said that there is a unanimous demand from the State of Orissa to send back those two districts which were, in their opinion, wrongly included in the State of Bihar. This logic cannot be extended there. The logic which is being applied to one aspect, cannot be made applicable to the other aspects. It is difficult to convince.

Madam, it is the duty of the Government to protect the cultural heritage of all communities. As I have said, language and territory will never go together. Though the First Re-organisation Commission divided the States as per language, the subsequent developments have shown that the same-language-spoken areas have been divided into a number of States. So, the ultimate objective is that the Government should be in a position to govern properly and not by creation of States. I do not think that by creation of more States, the purpose can be served. Now, the world has become a small global village. With the advent of information technology, you can get information from any nook and corner within seconds. That is the system, technology, that has been developed. But the argument that this creation will make the States more viable administratively does not hold good. And it is not relevant also. During the reorganisation of States, there was a terrible violence in the country, but due to the intervention of some towering personalities, they could manage the things. But in the existing fractured majority that we are having, it is rather difficult to open the Pandora's box and solve the problem. So, I advise the Goernment to be very cautious, as far as the division of States is concerned. Thank you.

WELCOME TO PARLIAMENTARY DELEGATION FROM MADAGASCAR

THE DEPUTY CHAIRMAN: Hon'ble Members, before I call the next speaker, I have to make an announcement. Hon'ble Members,